

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
91 ई, भारत भवन, वालकेश्वर मार्ग, मुंबई- 400 006

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2010

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1. मुख्य विशेषताएँ	अध्याय-1	3-4
2. फिल्म सेसरशिप	अध्याय-2	5-8
3. बोर्ड के अधिकारी-गण	अध्याय-3	9-10
4. अवलोकन	अध्याय-4	11-16
5. फिल्मों के प्रमाणन में प्रकट- प्रवणता	अध्याय-5	17-22
6. बोर्ड की अर्थ व्यवस्था	अनुलग्नक 1 से 21 तक	25-27
7. सांख्यकीय सूचना		29-57

मुख्य विशेषताएँ

प्रमाणपत्रों की कुल संख्या:	2009	2010
1. सेलूलॉयड फिल्म	3521	3781
2. वीडियो फिल्म	9967	9530
कुल	13488	13311
प्रत्येक वर्ग में जारी की गई प्रमाणपत्रों की संख्या:		
‘अ’	9724	9519
‘अव’	2933	3029
‘व’	831	763
‘एस’	--	--
जारी की गई प्रमाणपत्रों की अधिकता संख्या:		
मुंबई	2093	2437
भारतीय फीचर फिल्म (सेलुलायड)	1288	1274
भारतीय फीचर फिल्म (विदेशी)	1005	852
विदेशी फीचर फिल्म (सेलुलायड)	283	298
विदेशी फीचर फिल्म (विदेशी)	2134	1603
प्रमाणित फिल्मों की अधिकतम संख्या:		
(क) भाषा		
1. हिन्दी	235	215
2. तेलुगु	190	202
3. तमिल	218	181
(ख) क्षेत्र		
1. मुंबई	444	489
2. चेन्नई	190	205
3. हैदराबाद	250	175
4. बैंगलूर	199	161
(ग) विषय वस्तु		
1. सामाजिक	1022	984
(घ) प्रमाणपत्र		
‘अ’	639	2475

	2009	2010
‘अव’	435	854
‘व’	214	452
1. स्पष्ट	759	842
2. काट-छाट	529	432
वीडियो फीचर फ़िल्म:		
1. भारतीय	1005	852
2. विदेशी	2134	1603
काट-छाट:		
1. भारतीय फीचर	14458.37	8617.3
2. विदेशी फीचर	1101.19	615.15
3. अन्य	191.06	13.31
कुल	15750.62	9245.76
प्रारंभिक स्वीकृति:		
1. भारतीय फीचर	15	8
2. विदेशी फीचर	5	1

बोर्ड और सलाहकार पैनेल के सदस्य

- बोर्ड के सदस्यों को दिनांक 5.2.2008 से नियुक्त किया गया है।
- बोर्ड के नौ क्षत्रों के सलाहकार पैनलों का पुनर्गठन दिनांक 10.11.2009 से किया गया है।

वित व्यवस्था

	2009-10	2010-2011
अनुदान (लाख रु में)		
1. योजना	85.00	80.00
2. योजनेतर	560.00	550.00
राजस्व (लाख रु. में)	2009-2010 (2009 दिसंबर तक)	2010-2011 (2010 दिसंबर तक)
	748.23	662.22

अध्याय-1

फिल्म प्रमाणीकरण

भूमिका

1. भारत में विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है और यहां प्रतिवर्ष करीब आठ सौ फीचर फिल्में और एक हजार लघु फिल्मों का निर्माण किया जाता है।
2. कलाओं में फिल्म को सबसे अधिक जनप्रीति एवं स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण सांस्कृतिक क्षेत्र में भी फिल्मों के निर्माण एवं प्रदर्शन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। जनमत तैयार करने में और लोगों के आचार, रीति रिवाज की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने में फिल्मों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फिल्म मनोरंजन का एक सुलभ साधन है और लोगों को इस के प्रति बहुत लगाव हैं। फिल्मों की सुलभता ने इसे आम जनता को सौंदर्य परखने का ज्ञान प्रदान करने का साधन बना दिया है।
3. हमारे देश में फीचर फिल्मों का निर्माण अधिकतर निजी क्षेत्र में होता है। फिल्म निर्माण पर कोई सरकारी नियंत्रण या रोक नहीं है। दूरदर्शन और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित फिल्मों की कहानी को पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है।
4. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मुख्य रूप से दर्शकों के मन पर होनेवाले हानिकारक प्रभाव से अत्यधिक चिंतित है।
5. भारत में फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही हो सकता है। चलचित्र अधिनियम 1952 के अन्तर्गत बोर्ड की स्थापना की गई है और इस बोर्ड में अवैतनिक अध्यक्ष और कई सदस्य-गण हैं, सभी को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलूर, तिरुवनन्तपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में स्थित हैं। परामर्शदाता पैनल की सहायता से इन क्षेत्रीय कार्यालयों में फिल्मों की परीक्षण होता है। केन्द्र सरकार द्वारा इन पैनल सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। वे समाज के विविध स्तर जैसे कि सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, विधि, फिल्म निर्माण, कला आदि के विशिष्ट व्यक्ति होते हैं।
6. अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त फिल्मों को ‘अ’ प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। जिस फिल्म में बारह वर्ष से कम आयु के बालकों को न दिखानेवाले कुछ दृश्य है, अथवा अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भी उपयुक्त है, उस फिल्म को इस की सूचना देते हुए ‘अब’ प्रमाणपत्र दिए जाते हैं। उन फिल्मों को ‘ब’ प्रमाणपत्र दिए जाते हैं जो वयस्कों को निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त हैं तथा विशेष दर्शकों जैसे डाक्टर आदि के लिए निर्बन्धित प्रदर्शन के लिए उपयुक्त फिल्म को ‘एस’ प्रमाणपत्र दिए जाते हैं। यदि बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं हैं तो फिल्म को अस्वीकृति दी जाती है।

बात और विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता

7. भारत में प्रैस स्वतंत्र है और वही स्वतंत्रता सिनेमा पर भी लागू है। फिल्म प्रभाग और दूरदर्शन को छोड़कर बाकि सभी विभाग सरकारी नियंत्रण के बाहर स्वतंत्र संगठन हैं। इन दो विभागों का लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और जानकारी देना है।
8. विश्व के अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत में प्रैस को सबसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है और वही स्वतंत्रता सिनेमा पर भी लागू है।
9. संविधान में यद्यपि सिनेमा और प्रैस को अलग नहीं दिखाया गया है फिर भी स्वतंत्रता संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि प्रैस और सिनेमा का विषय संविधान की मौलिक अधिकार के अध्याय के अधीन विशेषतः अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत आता है जिसके अनुसार हर व्यक्ति को अपनी बात एवं विचार प्रस्तुत करने का अधिकार होंगे। विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता का मतलब है अपना विचार मौखिक, लिखित, चित्र या अन्य माध्यम के सहारे प्रस्तुत करना है, जिस में फिल्म भी शामिल है।
10. परन्तु यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत उचित प्रतिबन्ध के अधीन है। राज्य की प्रभुसत्ता और अखण्डता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सामाजिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार या न्यायालय का अवमान से संबंधित, अपराध की निन्दा या निन्दा के लिए प्रेरित करने के हित में उचित नियंत्रण भी रखा जा सकता है।
11. इसलिए भारत के संविधानकर्ताओं को यह महसूस हुआ कि राष्ट्र एवं समाज के हित में कुछ उचित प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत उल्लिखित स्वतंत्रता का आशासन और सामाजिक हितों के बीच एक उचित संतुलन भी रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दी हुई अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता की सुरक्षा करना राज्य का ही कर्तव्य है।
12. यह स्पष्ट है कि जब कि मीडिया प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म या अन्य को बात या विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, यह सामाजिक मत है कि कुछ नियंत्रण भी रखा जाना चाहिए।
13. इसके अलावा जब कि लोक हित में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं यह सुनिश्चित करना लोगों का कर्तव्य है कि संविधान व राज्य द्वारा प्रदत्त इस अधिकार का दुरुपयोग समाज के चरित्रहीन व्यक्तियों के हाथों से न हो।

फिल्म सेंसरशिप क्यों आवश्यक है ?

14. हमारे देश में मीडिया स्वतंत्र है, इसलिए लोगों का मत है कि सार्वजनिक प्रदर्शन के पहले फिल्मों का परीक्षण किया जाए, क्योंकि फिल्म एक दृश्य-श्रवण माध्यम है और उसका प्रभाव मुद्रित मुद्रित शब्दों से कहीं अधिक है।
15. फिल्म सेंसरशिप या प्रमाणीकरण फिल्मों की परीक्षण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक फिल्म को लोक-प्रदर्शन की अनुमति या काट-छाट और परिवर्तन करने का निर्णय विहित है। इसके अलावा लोगों को मानसिक ह्लास देनेवाले मामलों को अधिक प्रदर्शित न करने पर भी ध्यान रखा जाता है।
16. फिल्म 'ओरू ओरू ग्रामतिले' तमिल के प्रमाणीकरण के संबंध में 1988 के सिविल अपील सं-13667-67 के लिए दिनांक 30-3-89 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि एक फिल्म विचार और प्रवृत्ति उत्तेजित कर उच्च अनुपात के ध्यान और स्मरण को बनाए रखती है। उसके अभाव से दृश्य और श्रव्य चेतना सावधानीपूर्वक जागते हैं। पर्द पर तथ्यों और राय का सच्चा प्रदर्शन केन्द्रीकृत करने से उद्देश्य अधिक प्रभावकारी हो जाते हैं। बाहर के अन्य विकर्षक विचारों से हटकर रंगशाला के अर्ध-अंधेरे में नाट्य और कथन, दृश्य और ध्वनि दर्शकों के मन में अधिक प्रभाव डालते हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि फिल्मों में भावना उद्दीप्त और भंग करने की क्षमता है। उसमें अच्छाई के प्रति जितनी क्षमता है उतनी ही बुराई के लिए भी। उसमें अच्छा और हिंसक आचरण की शिक्षा व पोषण करने की क्षमता है। इन गुणों के साथ-साथ फिल्में उन दर्शकों के लिए बनाई जाती हैं जो आम तौर पर यह निर्णय भी नहीं ले पाते हैं कि वे क्या देखना चाहते हैं। इसी कारण से फिल्म को अन्य संपर्क माध्यमों से तुलना नहीं कर सकते हैं। इसे समाचार पत्र या पत्रिका के तरह खुले-बाजार में आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसलिए सेंसरशिप का पूर्व-नियंत्रण वांछनीय ही नहीं बल्कि अनिवार्य है।

सेंसरशिप कौन करता है ?

17. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (जिसे केन्द्रीय फिल्म सेंसर्स बोर्ड के नाम से दिनांक 1 जून, 1983 तक जाना जाता था) का गठन मुंबई में किया गया, और इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलूर, तिरुवनन्तपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में स्थित है।
18. अधिसूचना 1952 के खण्ड 5 (डी) के तहत फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण (एफ.सी.ए.टी) का गठन किया गया है, इस अधिकरण में के.फि.प्र.बो के द्वारा लिए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
19. जब कि फिल्म प्रमाणीकरण का कार्य केन्द्र का विषय है, वही सेंसरशिप प्रावधानों को लागू कर अपराधियों को विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करना प्रत्येक राज्य का कार्य है।

20. अधिनियम 1952 और चलचित्र प्रमाणन नियम 1983 के अन्तर्गत केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड का संघटनात्मक ढांचा बनाया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों को तीन वर्ष तक या सरकार द्वारा निर्देशित कालावधि तक नियुक्त किया जाता है। ये सदस्य समाज के विविध क्षेत्र जैसे सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, कला, फ़िल्म इत्यादि के श्रेष्ठ होते हैं और वे समाज के विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं।
21. केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को परामर्शदाता पैनल की सहायता प्राप्त होती है और क्षेत्रीय अधिकारी उसके प्रधान होता है। इन पैनलों के सदस्य समाज के विविध क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। ये सदस्य सरकार के निर्देश तक या अधिकतम दो वर्ष तक कार्य करते हैं उसके बाद सदस्य को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।
22. फ़िल्म प्रमाणीकरण में दो-तरफा व्यवस्था प्राप्त करने के लिए के.फि.प्र.बो को परीक्षण और पुनरीक्षण समितियों में बांटा गया है। परीक्षण समिति की मत-भिन्नता या परीक्षण समिति के निर्णय से संतुष्ट न होने की स्थिति में उस फ़िल्म को पुनरीक्षण समिति को भेजा जाता है।
23. बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध फ़िल्म प्रमाणीकरण अपील अधिकरण में अपील की जा सकती है। अधिकरण की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश करते हैं और उस में चार सदस्य होंगे। चलचित्र अधिनियम के तहत किसी फ़िल्म के संबंध में अधिकरण के पास लंबित या अधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय को केन्द्र सरकार को स्वेच्छा से पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदत्त है।
24. भारत में आयात विदेशी, डब और वीडियो फ़िल्मों पर भी प्रमाणीकरण नियम लागू होते हैं। दूरदर्शन के लिए बनाए गए फ़िल्मों के लिए प्रमाणीकरण नियम लागू नहीं है क्योंकि उन फ़िल्मों के परीक्षण के लिए दूरदर्शन की अपनी अलग व्यवस्था है।

केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के निर्णयों को क्या मार्गदर्शन करती है ?

25. अधिनियम 1952 की भाग 5(ख)(2) में यह उल्लिखित है कि भाग (ख) (1) के अलावा सरकार द्वारा ऐसे निर्देश जारी कर सकती हैं जिसके अनुसार सक्षम अधिकारी को इस अधिनियम के तहत फ़िल्मों को स्वीकृति कर प्रमाणपत्र प्रदान करने में पथ-प्रदर्शन हो।
26. सरकार द्वारा जारी की गई इन निर्देशों को सामान्यतः मार्गदर्शक सिद्धान्त जाना जाता है व इन्हें समय समय पर संशोधित किया जाता है और इसका आधार सामाजिक परिवर्तन व समय समय पर बनाई गई फ़िल्मों का प्रकार रहा है। इसे बदलते हुए सामाजिक दृष्टिकोण और बनाए गए फ़िल्मों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। वर्तमान नियम और अधिनियम में संशोधन करने के लिए बोर्ड के अध्यक्ष महोदय द्वारा विविध देशों में अनुसरण होने वाले सेंसरशिप मार्गदर्शक सिद्धान्त मंगाए गए।

अध्याय-2
बोर्ड के प्राधिकारी/अधिकारी-गण

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य

27. बोर्ड का गठन श्रीमती शर्मिला टैगोर की अध्यक्षता में 24 बोर्ड सदस्यों के साथ किया गया है। अनुलग्नक-1 में बोर्ड सदस्यों के नाम दिए गए हैं।

परामर्शदाता पैनेल के सदस्य

28. केन्द्र सरकार ने दिनांक 10-11-2009 से बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के परामर्शदाता पैनेलों का पुनर्गठन किया है।

बोर्ड के अधिकारी-गण

29. क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत प्रादेशिक, अपर प्रादेशिक एवं सहायक प्रादेशिक अधिकारियों के नाम एवं क्षेत्र का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र म	अधिकारी का नाम	पदनाम तथा क्षेत्र
1.	श्रीमती पंकजा ठाकुर (दिनांक 21-9-2009)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दिनांक 29. 9. 2009 से प्रादेशिक अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार)
2.	श्री.विनायक आजाद (दिनांक 31.5.2010 तक) श्रीमती अल्पना पंत शर्मा (दिनांक 31.5.2010 से 29.9.2010 तक)	प्रादेशिक अधिकारी, मुंबई
3.	श्री.रा.वे.सुब्रह्मणि (दिनांक 9.8.2010 से)	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुंबई
4.	श्री. बाबू रामसामी (दिनांक 31.1.2010 को सेवानिवृत्त) श्री.वी.पळनीचामी (दिनांक 1.2.2010 से 17.6.2010 तक) श्री. श्री.राजरेखर (दिनांक 17.6.2010 से 27.7.2010 तक) श्री.वी.पळनीचामी (दिनांक 6.8.2010 से)	प्रादेशिक अधिकारी, चेन्नई
5.	श्री सुब्रतो मुखोपाध्याय	प्रादेशिक अधिकारी, कोलकाता
6.	श्री.के.नागराज	प्रादेशिक अधिकारी, बैंगलूर
7.	श्री.टी.वी.के.रेड्डी (दिनांक 21.6.2010 तक) श्रीमती.ए. धनलक्ष्मी (दिनांक 11.10.2010 से)	प्रादेशिक अधिकारी, हैदराबाद
8.	श्री.एम.पी.जॉन (दिनांक 23.2.2010 अपराह्न तक) श्री.टी.पी.मधुकुमार (दिनांक 23.2.2010 अपराह्न से)	अपर प्रादेशिक अधिकारी, तिरुवनन्तपुरम
9.	श्री.मनोज गुप्ता (दिनांक 8.4.2010 तक) श्री.राज कुमार (दिनांक 9.4.2010 अपराह्न से)	प्रादेशिक अधिकारी, नई दिल्ली
10.	श्री. अखिल कुमार मिश्रा (दिनांक 29.3.2010 अपराह्न से)	प्रादेशिक अधिकारी, कटक
11.	श्री. नरजरे	प्रादेशिक अधिकारी, गुवहाटी

12.	श्रीमती. विजया किरण चावक	अध्यक्ष के सचिव
13.	श्री. अमिताभ शर्मा	सहायक प्रादेशिक अधिकारी, मुंबई
14.	श्रीमती जे.एस महामुनी (दिनांक 31.5.2010 को सेवानिवृत्त)	सहायक प्रादेशिक अधिकारी, मुंबई
15.	श्री. पी.बी.बनसोडे	सहायक प्रादेशिक अधिकारी, मुंबई
16.	श्री. वी.सुकुमारन	सहायक प्रादेशिक अधिकारी, चेन्नई

अध्याय-3

अवलोकन

प्रमाणीकरण

30. वर्ष 2010 में बोर्ड द्वारा कुल 13311 प्रमाणपत्र जारी किए गए, इस में से 3781 प्रमाणपत्र सेलुलायड़ फिल्मों के लिए और 9530 प्रमाणपत्र वीडियो फिल्मों के लिए जारी किए गए। इसका विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।
31. सेलुलायड़ फिल्मों के वर्ग में भारतीय फीचर फिल्मों के लिए 1274 प्रमाणपत्र, विदेशी फीचर फिल्मों के लिए 298 प्रमाणपत्र, भारतीय लघु फिल्मों के लिए 1895 प्रमाणपत्र, विदेशी लघु फिल्मों के लिए 312 प्रमाणपत्र, विदेशी लंबी फिल्म को 2 प्रमाणपत्र जारी किए हैं। कुल 3781 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
32. वीडियो फिल्मों के वर्ग में कुल जारी किए गए 9530 प्रमाणपत्र में से भारतीय फीचर फिल्मों के लिए 852 प्रमाणपत्र, विदेशी फीचर फिल्मों के लिए 1603 प्रमाणपत्र, 6299 भारतीय लघु फिल्मों के लिए प्रमाणपत्र, विदेशी लघु फिल्मों के लिए 511 प्रमाणपत्र, भारतीय लंबी व फीचर से भिन्न फिल्म के लिए 178 और विदेशी लंबी व फीचर से भिन्न के लिए 87 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
33. कुल 13311 प्रमाणपत्रों में से, 9519 प्रमाणपत्र अ वर्ग के लिए 3029 अव वर्ग के लिए, 763 व वर्ग के लिए जारी किए गए हैं। विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।
34. मुंबई क्षेत्र (7485) से सबसे अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, उसके बाद चेन्नई 2260 और बैंगलूर 859 है। प्रमाणपत्रों का श्रेवार विवरण अनुलग्नक-11 में दिया गया है।
35. फीचर फिल्म (सेलुलायड़) के लिए सबसे अधिक प्रमाणपत्र भी मुंबई क्षेत्र से जारी किए गए हैं, उसके बाद चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलूर और कोलकाता है।

मुंबई	766 (489 भारतीय और 277 विदेशी)
चेन्नई	225 (205 भारतीय और 20 विदेशी)
हैदराबाद	175 (सभी भारतीय)
बैंगलूर	161 (सभी भारतीय)
कोलकाता	106(सभी भारतीय)

36. भारतीय भाषाओं में प्रथम स्थान हिन्दी (215) को है और उसके बाद तमिल (202) है। कुल प्रमाणित विदेशी फीचर फिल्मों की संख्या 298 है।

37. विविध वर्गों में फ़िल्म प्रमाणीकरण की प्रवणता का विश्लेषणात्मक विवरण **अध्याय-4** में दिया गया है।

समितियां

38. इस वर्ष के प्रमाणीकरण के लिए संपूर्ण के.फि.प्र.बो में भारतीय सेलुलायड़ फ़िल्मों के लिए 1299 परीक्षण समितियां और 37 पुनरीक्षण समितियां व विदेशी फीचर फ़िल्मों के लिए 310 परीक्षण समितियां तथा 7 पुनरीक्षण समितियां का गठन किया गया। क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक 10 में दिया गया है।

काट-छाट

39. वर्ष 2010 में प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत फ़िल्मों में मार्गदर्शन सिद्धान्तों के उल्लंघन के लिए कुल 9245.76 मीटर के आपत्तिजनक दृश्यों की काट-छाट की गई है। क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक -9 में दिया गया है।

अस्वीकृति

40. वर्ष 2010 में बोर्ड द्वारा कुल 8 भारतीय फीचर फ़िल्मों और 1 विदेशी फ़िल्म को अस्वीकृति दी गई है, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा 5(ख) (2) की मार्गदर्शक सिद्धान्तों की एक या उससे अधिक बार उल्लंघन किए जाने के कारण से था। कुछ फ़िल्मों को के.फि.अ.अ ने प्रमाणपत्र प्रदान किया और कुछ फ़िल्मों के संशोधित रूपान्तरण को प्रमाणित किया है।

सेंसरशिप उल्लंघन

41. वर्ष 2010 में भी फ़िल्मों के प्रदर्शन के समय सेंसरशिप उल्लंघन की घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। के.फि.प्र.बो और केन्द्र सरकार के ध्यान में आए गए उल्लंघनों के अधिकतर मामले अन्तर्वेशन के हैं। फ़िल्म उद्योग में पाए गए सेंसरशिप उल्लंघन पाँच प्रकार का है।

- क. बोर्ड द्वारा काटे गए फ़िल्मों के उन भागों को सार्वजनिक प्रदर्शन के समय जोड़ना
- ख. बोर्ड को न दिखाए गए दृश्यों को प्रमाणित फ़िल्मों में जोड़ना।
- ग. ब्लू फ़िल्मों के भागों को प्रमाणित फ़िल्मों में जोड़ना।
- घ. नकली प्रमाणपत्र के साथ अप्रमाणित फ़िल्मों का प्रदर्शन।
- ड. सेंसरशिप प्रमाणपत्र के बिना फ़िल्मों का प्रदर्शन।

42. चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत फ़िल्मों के प्रदर्शन के समय बोर्ड के निर्णय को लागू करने का अधिकार बोर्ड या केन्द्र सरकार को नहीं है। यह अधिकार राज्य सरकार या संघ प्रशासनों को

प्रदत्त है। बोर्ड ने समय समय पर इस संबंध में प्रभावकारी कार्रवाई के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को कहा है।

43. इस वर्ष देश के विविध स्थानों से फ़िल्मों में अन्तर्वेशन की 7 मामलों का पता चला है और संबंधित मजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है।

शिकायतें

44. वर्ष 2010 में भी फ़िल्म प्रमाणीकरण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकतर शिकायतें पर्दे पर दिखाए जा रहे सेक्स और हिंसा के विषयों से संबंधित हैं। इन में अधिकांश शिकायतें आम तरह की हैं। जब भी एक फ़िल्म की शिकायत प्राप्त होती है केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड की टिप्पणी और उसकी रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेजी जाती है। सेंसरशिप एक ऐसा विवादास्पद विषय है जिसमें सही और गलत दोनों की आलोचना की जाती है। ऐसे विवाद सिर्फ़ सिनेमा में ही नहीं बल्कि संपर्क के सभी माध्यम जैसे टेलिविजन, प्रैस, किताब, पत्रिका और कला के संबंध में भी होते हैं। प्रैस में प्रतिबिंधित मत दो-तरफा प्रकृति का है, जिसकी एक वर्ग फ़िल्म मीडिया को अधिक आजादी देने के लिए जोरदार दावा करते हैं और दूसरा वर्ग अधिक नियंत्रण के लिए समान रूप से बहस करता है।

बोर्ड की बैठक

45. 1. केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड की 121वीं बैठक दिनांक 25 मार्च, 2010 को कोलकाता में आयोजित की गई। बैठक के सभापतित्व बोर्ड की अध्यक्ष महोदया श्रीमती शर्मिला टैगोर ने की।
2. केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड की 122वीं बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के सभापतित्व बोर्ड की अध्यक्ष महोदया श्रीमती शर्मिला टैगोर ने की।
3. केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड की 123वीं बैठक दिनांक 9 अगस्त, 2010 को भोपाल में आयोजित की गई। बैठक के सभापतित्व बोर्ड की अध्यक्ष महोदया श्रीमती शर्मिला टैगोर ने की।
4. केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड की वीं 124वीं बैठक दिनांक 11 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के सभापतित्व बोर्ड की अध्यक्ष महोदया श्रीमती शर्मिला टैगोर ने की।

सलाहकार पैनेलों के लिए कार्यशालाएं

46. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और गुवहाटी क्षेत्र में सलाहकार पैनल सदस्यों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

47. प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय के सलाहकार पैनल सदस्यों व परीक्षण अधिकारियों को फ़िल्म प्रमाणीकरण में लाभान्वित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। कार्यशालाओं में फ़िल्म प्रमाणन से संबंधित कई मामलों पर चर्चा की जाती है। आचार संहिता व अनुशासन का अनुसरण करने की आवश्यकता पर चर्चा की जाती है।

महत्वपूर्ण घटनाएं

- 48.1. दिनांक 7 व 8 जनवरी, 2010 को मुंबई में प्रादेशिक अधिकारियों की बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।
2. दिनांक 30 जनवरी, 2010 को चेन्नई में प्रादेशिक अधिकारियों की बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।
3. दिनांक 12 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव (फ़िल्म), सूचन और प्रसारण मंत्रालय के साथ प्रादेशिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।
4. दिनांक 23 अप्रैल, 2010 को मुंबई में के.फि.प्र.बो के कंप्युटरीकरण के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया।
5. दिनांक 30 अप्रैल, 2010 को अध्यक्ष के साथ प्रादेशिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।
6. दिनांक 7 मई, 2010 को मुंबई में संयुक्त सचिव (फ़िल्म), सूचन और प्रसारण मंत्रालय के साथ प्रादेशिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।
7. दिनांक 18 मई, 2010 को कोलकाता में के.फि.प्र.बो के कंप्युटरीकरण के संबंध में प्रादेशिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।
8. दिनांक 25 मई, 2010 को मुंबई पैनल सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।
9. दिनांक 26 जून, 2010 को नईदिल्ली में प्रादेशिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।
10. दिनांक 30 जून, 2010 को मुंबई में के.फि.प्र.बो के कंप्युटरीकरण के संबंध में संयुक्त सचिव (फ़िल्म), सूचन और प्रसारण मंत्रालय के साथ प्रादेशिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।
11. दिनांक 30 अगस्त, 2010 को मुंबई में के.फि.प्र.बो के 12वीं योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रादेशिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।
12. दिनांक 28 सितंबर, 2010 को मुंबई में प्रादेशिक अधिकारियों की बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।
13. दिनांक 3 दिसंबर, 2010 को के.फि.प्र.बो के कंप्युटरीकरण के संबंध में त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

सेक्स और हिंसा को नियंत्रण करने का मानदण्ड

49. फिल्मों में सेक्स और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए पूर्व-प्रस्तुत निम्नलिखित मानदण्डों को जारी रखा गया है।

1. दूरदर्शन में प्रसारित फिल्मों के गाने और ट्रेलरों को अब पूर्व प्रमाणीकरण के अन्तर्गत रखा गया है।
2. यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक परीक्षण/पुनरीक्षण समिति में 50 % सदस्य महिलाएं हो।
3. बोर्ड व सलाहकार पैनल सदस्यों को मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
4. निरन्तर उल्लंघित किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए विशेष स्पष्टीकरण जारी किया गया।
5. परीक्षण/पुनरीक्षण/फिल्म अपील अधिकरण के जिन सदस्यों के सिफारिश से फिल्म लोक-प्रदर्शन के लिए पास की जाती है, उन सदस्यों का नाम प्रमाणपत्र में दिया जायें।

बोर्ड की अर्थ- व्यवस्था

50. वर्ष 2010-2011 के कुल बजट नियमित में योजनेतर एवं योजना के अन्तर्गत क्रमशः रु. 550.00 लाख और रु. 80.00 लाख है।

राजस्व

51. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को वर्ष 2010 में कुल रु. 6,62,22,116/- सेंसरशिप शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त हुआ है।

सिने कर्मचारी कल्याण निधि अधिनियम

52.क. इस वर्ष केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने भारतीय फीचर फिल्मों के लिए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सिने कर्मचारी कल्याण सेस जमा किया है। ये दर हिन्दी व अंग्रेजी फिल्मों के लिए रु.20,000/- और अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए रु.10,000/- है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने कुल रु.2,36,50,000/-सिने कर्मचारी कल्याण सेस समेकित किया है।

ख. मंत्रालय द्वारा दिनांक 18-7-2007 को जारी किए गए अधिसूचना के तहत भारतीय भाषा में डब की गई विदेशी फिल्मों के लिए सेस लगाया जा रहा है।

प्रमाणन शुल्क

53. मंत्रालय से जारी किए गए अधिसूचना संख्या.801/7/2005(एफ.सी) दिनांक 2.7.2007 के अनुसार प्रमाणन शुल्क की वृद्धि की गई। कुल रु. 6,62,22,116/- सेंसरशिप शुल्क समेकित किया गया है।
54. मंत्रालय के आदेश संख्या.807/3/2007 दिनांक 24.09.2007 के अनुसार कई वर्गों के फ़िल्मों को प्रमाणन से छूट दी गई है।

अध्याय -4

फिल्म प्रमाणीकरण में प्रकट प्रवणता

भारतीय फीचर फिल्म (सेलुलायड)

55. वर्ष 2010 में भारतीय फीचर फिल्मों के लिए कुल 1274 प्रमाणपत्र जारी किए गए जब की वर्ष 2009 में 1288 प्रमाणपत्र जारी किए थे। संपूर्ण आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2008 की 1325 संख्या सबसे अधिक रहा। वर्ष 2001-2010 तक के आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	फिल्मों की संख्या
2001	1013
2002	943
2003	877
2004	934
2005	1041
2006	1091
2007	1146
2008	1325
2009	1288
2010	1274

यहां यह ध्यान में लाना है कि एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में डब की गई फिल्मों की संख्या 2001 में 213 रहा। भारतीय डब फिल्मों की संख्या वर्ष 2002 में 165, 2003 में 114, 2004 में 93, 2005 में 88, 2006 में 49, 2007 में 190, 2008 में 206, 2009 में 202 और 2010 में 117 है। वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 में निर्मित भारतीय फीचर फिल्मों की संख्या क्रमशः 800, 778, 763, 841, 953, 1042, 956, 1119, 1089 और 1157 है।

56. भाषा और क्षेत्रावार विवरण **अनुलग्नक-4** में दिया गया है। वर्ष 2010 में सबसे अधिक फिल्में हिन्दी (215) में बनाई गई हैं उसके बाद तमिल (202) और तेलुगु (181) हैं। वर्ष 2009 की तुलना में इस वर्ष विविध भारतीय भाषाओं में निर्मित फिल्मों के आंकड़ों में उन्नति/अवनति अगले पृष्ठ में दर्शाये गये हैं।

भाषा	2009 में प्रमाणित फिल्में	2010 में प्रमाणित फिल्में	उन्नति (+) अवनति (-)
बंगाली	84	110	(+) 26
मराठी	99	116	(+) 17
तमिल	190	202	(+) 12
मलयालम	94	105	(+) 11
ओडिया	17	26	(+) 9
तेलुगु	218	181	(-) 37
कन्नड	177	143	(-) 34
हिन्दी	235	215	(-) 20
अंग्रेजी	9	8	(-) 1

57. उपरोक्त सारणी यह दर्शाती है कि भारतीय फीचर फिल्मों के तेलुगु, कन्नड और हिन्दी भाषाओं में निर्मित फिल्मों में अवनति हुई है। मलयालम और ओडिया फिल्मों के निर्माण में अल्पमात्रा में वृद्धि दिखाई देती है और बंगाली, मराठी और तमिल फिल्मों के निर्माण में दर्शनीय वृद्धि हुई है।

58. पिछले वर्ष की तरह 2010 में बोर्ड ने 23 विविध भाषाओं/बोली के फिल्मों को प्रमाणित किया है। वर्ष 2010 में प्रमाणित फिल्मों के भाषा और क्षेत्रावार विवरण **अनुलग्नक-4** में दिए गए हैं।

59. कुल जारी किए गए 1274 प्रमाणपत्रों में से 631 प्रमाणपत्र प्रमुख 4 दक्षिण भारतीय भाषाओं के फिल्मों के लिए जारी किए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में भारतीय फीचर फिल्मों के लिए 489 प्रमाणपत्र जारी कर प्रथम स्थान पर मुंबई को है और उसके बाद चेन्नई, हैदराबाद बैंगलूर और कोलकाता हैं।

प्रमाणपत्र का विवरण (सेल्क्लायड)

60. 1274 फिल्मों को जारी किए गए प्रमाणपत्रों के विविध वर्गों का विवरण **अनुलग्नक-6** में दिया गया है। वर्ष 2009 के संदर्भ में प्रमाणपत्रों के तुलनात्मक विश्लेषण का विवरण नीचे दिये गये हैं।

प्रमाणपत्रों का वर्ग	2009 में प्रमाणित	कुल फिल्मों का %	2010 में प्रमाणित	कुल फिल्मों का %
अ	639	49.61%	625	49.05%
अव	435	33.77%	422	33.12%
व	214	16.61%	227	17.82%
कुल	1288		1274	

61. व में प्रमाणित फिल्मों के प्रतिशतता में दर्शनीय वृद्धि हुई है, अ और अव में प्रमाणित फिल्मों में कमी हुई है।

विषयात्मक वर्गीकरण (सेलुलायड)

62. 1274 भारतीय फीचर फिल्मों का विषयात्मक वर्गीकरण का विवरण **अनुलग्नक-5** में दिया

गया है। एक बार फिर सामाजिक वर्ग में प्रमाणित फिल्मों (987) की संख्या अधिकतम है और उसके बाद क्राइम (69) है।

63. अ, अव, और व के स्पष्ट वर्ग में प्रमाणित फिल्मों की संख्या काट-छाट के साथ प्रमाणित फिल्मों की संख्या से अधिक है।

64. इस वर्ष 842 फिल्मों को स्पष्ट प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं और लगभग 432 फिल्मों में काट-छाट दिए गए हैं। क्षेत्र और प्रमाणपत्र की स्थिति दर्शानेवाले विवरण **अनुलग्नक-6** में दिए गए हैं। वर्ष 2009 की अनुरूपी आंकड़ों के साथ प्रमाणपत्र की स्थिति दर्शानेवाला विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	प्रमाणपत्र का वर्ग						कुल स्पष्ट	कुल काट-छाट	समेकित कुल
	अ	अ*	अव	अव*	व	व*			
2009	410	229	237	198	112	102	759	529	1288
2010	460	165	241	181	141	86	842	432	1274

* काट-छाट के साथ

काट-छाट (सेलुलायड)

65. वर्ष 2010 में भारतीय फीचर फिल्मों से कुल 8617.3 मीटर के आपत्तिजनक दृश्यों की काट-छाट की गई जो की वर्ष 2009 की 14458.37 मीटर की तुलना में इस वर्ष 5841.07 मीटर कम है। विवरण **अनुलग्नक-9** में दिया गया है।

अस्वीकृति (सेलुलायड)

66. इस वर्ष केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने लगभग 8 भारतीय फीचर एवं 1 विदेशी फीचर फिल्म को प्रमाणपत्र की अस्वीकृति दी है, इसकी तुलना में वर्ष 2009 में 15 भारतीय फीचर व 5 विदेशी फीचर फिल्में थीं। तदनुसार कुछ फिल्मों को संशोधित और पुनःसंशोधित रूपान्तर में

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या केन्द्रीय फिल्म अपलीय अधिकरण ने पास किया है।
अनुलग्नक-7 में इसका विवरण दिया गया है।

डब (सेलुलायड)

67. एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में डब फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ रही है। 2010 में प्रमाणित कुल 1274 फिल्मों में से लगभग 117 डब फिल्में हैं। 2009 में यह आंकड़ा 1288 फिल्में और 202 डब फिल्में रहा। मुंबई क्षेत्र से अधिकतम संख्या में डब फिल्में प्रमाणित की गई और उसके बाद चेन्नई है। एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय दूसरी भारतीय भाषा में डब की गई फिल्मों का क्षेत्रवार और भाषावार विवरण अनुलग्नक-8 में दिया गया है।

विदेशी फीचर फिल्में (सेलुलायड)

68. इस वर्ष 298 विदेशी फीचर फिल्मों को लोक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र दिया गया है, इसकी तुलना में वर्ष 2009 में 283 फिल्में थी। प्रमाणपत्रों का वर्गीकरण नीचे दिया गया है।

प्रमाणपत्र का वर्ग	2009 में प्रमाणित	कुल फिल्मों का %	2010 में प्रमाणित	कुल फिल्मों का %
अ	44	15.54%	59	19.80%
अव	108	38.16%	95	31.88%
व	131	46.28%	144	48.32%
कुल	283		298	

69. प्रतिशत और वास्तविक रूप में अ और व प्रमाणपत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और अव की प्रमाणपत्रों में कमी हुई है।

70. कुल प्रमाणित 298 विदेशी फीचर फिल्मों में से 282 फिल्मों को काट-छाट के बिना प्रमाणपत्र दिए गए हैं और 16 को काट-छाट के साथ प्रमाणपत्र दिए गए हैं। 2009-2010 की संबंधित आंकड़े और प्रत्येक वर्ग के आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	प्रमाणपत्र का वर्ग						कुल स्पष्ट	कुल काट-छाट	समेकित कुल
	अ	अ*	अव	अव*	व	व*			
2009	40	4	104	4	104	27	248	35	283
2010	59	0	92	3	131	13	282	16	298

* काट-छाट के साथ

राष्ट्रवार विवरण(सेलुलायड)

71. अधिकतम संख्या में फिल्मों का आयात यु.एस.ए (224) से आयात किया गया है और उसके बाद यु.के (22) हांगकांग (14), थायलैंड (8) स्पेन और आफ्रिका प्रत्येक से (6) फ्रांस से (4) कोरिया और बैंगकॉक प्रत्येक से (3) जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया प्रत्येक से (2) और रूस और इटली प्रत्येक से (1) है। आयात फीचर फिल्मों का राष्ट्रवार विवरण **अनुलग्नक-12** में दिया गया है।

विषयात्मक वर्गीकरण (सेलुलायड)

72. कुल 298 फिल्मों में से 76 को फैटसी, 68 को सामाजिक, 54 को एकशन, 28 को थ्रिलर, 26 को होरर, 13 को कामदी, 9 को सा.फिक्शन, 9 को बाल फिल्म, 5 को क्राइम, 3 को एनिमेशन, एडवेंचर और एकशन/थ्रिलर प्रत्येक को 2, बायोग्राफिकल व हिस्टोरिकल, व अन्य प्रत्येक को 1 है। फिल्मों का विषयात्मक वर्गीकरण **अनुलग्नक-13** में दिया गया है।

काट-छाट/उपान्तर (सेलुलायड)

73. वर्ष 2010 में बोर्ड ने 298 विदेशी फिल्मों में कुल 615.15 मीटरों की काट-छाट का आदेश दिया है, इसकी तुलना में वर्ष 2009 को 283 फिल्मों में से 1101.19 मीटर रहा। इस आंकड़े में प्रमाणपत्र की प्राप्ति के लिए आवेदन करते समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल, संशोधित या पुनःसंशोधित फिल्मों के काट-छाट समाविष्ट नहीं किया है।

विदेशी फिल्मों का डब (सेलुलायड)

74. विदेशी फिल्मों को भारतीय भाषाओं में डब करने की नई प्रवणता 1994 से शुरू हुई और इस के बाद ज्यादा से ज्यादा विदेशी फिल्मों को हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में डब किए जाने लगा है। वस्तुतः कुछ फिल्मों को एक से अधिक भारतीय भाषाओं में डब किया जाने लगा है। वर्ष 2010 में ऐसी विदेशी फिल्मों को भारतीय भाषाओं में डब के लिए 169 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। वर्तमान प्रवणता यह है कि मूल अंग्रेजी और उसके डब रूपान्तर का एक ही दिन प्रदर्शन किया जाता है।

भारतीय लघु फिल्में (सेलुलायड)

75. वर्ष 2010 में भारतीय लघु फिल्मों के लिए 1895 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं जब कि वर्ष 2009 में जारी किए गए प्रमाणपत्र की संख्या 1672 रहा। **अनुलग्नक-14** में क्षेत्रवार और वर्गवार विवरण दिए गए हैं। इस में से 1655 को अ प्रमाणपत्र, 193 को अव प्रमाणपत्र और 47 को व प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

2008, 2009 और 2010 के क्षेत्रवार अनुरूप आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	बैंगलूर	तिरुवनन्तपुरम्	दराबाद	नई दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
2008	1254	14	329	27	35	152	3	5	-	1819
2009	1120	14	293	23	31	186	1	2	2	1672
2010	1368	30	296	19	40	137	1	4	-	1895

76. वर्ष 2008, 2009 और 2010 में प्रमाणित फिल्मों के वर्गीकरण की तुलनात्मक विवरण नीचे दी है:-

वर्ष	वृत्त	बाल	शैक्षणिक	वार्ता पत्रि का	ट्रेलर	लघु फीचर	सामाजिक	विज्ञापन	अन्य	कुल	
2008	104	2	20	15	1	444	24	1	1192	16	1819
2009	156	1	-	14	8	440	22	1	1009	21	1672
2010	156	2	7	1	14	475	23	2	1193	22	1895

77. इन फिल्मों में वृत्त और वार्ताचित्र वर्ग के 101 फिल्मों को फिल्म परामर्शदाता पैनेल ने अनिवार्य प्रदर्शन के लिए मंजूरी दी है।

विदेशी लघु फिल्में (सेलुलायड़)

78. वर्ष 2010 में विदेशी लघु फिल्मों के लिए 312 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, जो कि 2009 में 271 थे। इन लघु फिल्मों में 309 को ट्रेलर, 3 लघु फिल्मों को अन्य में प्रमाणित किए गए हैं। 134 फिल्मों को अ प्रमाणपत्र, 144 को अव प्रमाणपत्र और 34 फिल्मों को व प्रमाणपत्र दिए गए हैं। अनुलग्नक -15 में क्षेत्रवार और वर्गवार विवरण दिया गया है।

वीडियो फिल्में

79. वर्ष 2010 में कुल 9530 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, इस में से 852 प्रमाणपत्र भारतीय फीचर फिल्मों के लिए, 1603 को विदेशी फीचर, 6299 को भारतीय लघु 511 को विदेशी लघु, 178 को भारतीय लंबी फिल्म (फीचर से भिन्न) और 87 को विदेशी लंबी फिल्म (फीचर से भिन्न) श्रेणी में जारी किए गए हैं।

भारतीय फीचर फिल्में (वीडियो)

80. कुल प्रमाणित 852 फिल्मों में से 528 को अ प्रमाणपत्र, 305 को अव और 19 को व प्रमाणपत्र दिए गए हैं। वीडियो फिल्मों के भाषावार और प्रमाणपत्र दर्शानेवाले सारणी अनुलग्नक-17 में दिए गए हैं।

विदेशी फीचर फिल्में (वीडियो)

81. इस वर्ष कुल प्रमाणित 1603 विदेशी फीचर फिल्म वीडियो फिल्मों में से 996 फिल्मों को मुंबई से प्रमाणित किए, 492 को चेन्नई, 3 को कोलकाता तथा 112 को नई दिल्ली से प्रमाणित किए हैं। **अनुलग्नक-18** में राष्ट्रवार और वर्गवार विवरण दिया गया है।

भारतीय लघु फिल्में (वीडियो)

82. इस वर्ष भारतीय लघु फिल्मों के लिए 6299 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं जब कि वर्ष 2009 में यह आंकड़ा 5871 रहा। **अनुलग्नक-16** में भाषावार और क्षेत्रवार विवरण दिए गए हैं। इस वर्ष के अनुरूप आंकड़ों का क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	बैंगलूर	तिरुवनंतपुरम्	हैदराबाद	नई दिल्ली	कटक	गुवहाटी	कुल
2009	3037	176	573	701	419	382	527	5	51	5871
2010	3124	228	1036	586	372	393	501	8	51	6299

83. 6299 फिल्मों में से 5281 को अ प्रमाणपत्र, 859 फिल्मों को अव, तथा 159 को व प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

विदेशी लघु फिल्में (वीडियो)

84. 2010 में विविध क्षेत्रों से प्रमाणित कुल 511 फिल्मों में से 349 को अ प्रमाणपत्र, 140 को अव प्रमाणपत्र, तथा 22 को व प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

भारतीय लंबी फिल्में (वीडियो) फीचर से भिन्न

85. 2010 में 178 फिल्में प्रमाणित की गई हैं और उनमें से 163 को अ प्रमाणपत्र, 9 को अव तथा 6 को व प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

विदेशी लंबी फिल्में (वीडियो) फीचर से भिन्न

86. 2010 में 87 फिल्में प्रमाणित की गई हैं और उनमें से 25 को अ प्रमाणपत्र, 28 को अव तथा 34 को व प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

सेंसरशिप उल्लंघन

87. 2010 में भी फिल्मों के प्रदर्शन के समय सेंसर उल्लंघनों की घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं। इस में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और भारत सरकार को ज्ञात हुए अधिकतर मामलों अन्तर्वेशन के हैं।

88. चलचित्र अधिनियम के तहत फ़िल्मों को लोक-प्रदर्शन के समय बोर्ड के निर्णयों को लागू करने का अधिकार बोर्ड या केन्द्र सरकार को नहीं है। यह अधिकार राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासनों को प्रदत्त है। बोर्ड ने इस में प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता के लिए समय समय पर संबंधित अधिकारियों को कहा है।

वर्ष 2010 के दौरान पुलिस के विविध स्टेशनों में निम्नलिखित फीचर फ़िल्मों के प्रिन्टों को जस किया गया:-

क्रम सं	फ़िल्म का शीर्षक और भाषा	जब्त करने वाले अधिकारी	टिप्पणी
1.	शौकीन वैष्या	टमलक पुलिस स्टेशन, पुरबा, मेदिनीपुर (प.बं)	जांच बाकि है।
2.	सॉरी ऑन्टी (तमिल)	पुलिस निरीक्षक, तिरुवन्नामलै पुलिस स्टेशन, टी.वी.मलै जिला	-वही-
3.	पमेला प्रिंसिपिल 2 (अंग्रेजी)	टाठन 4 पु.स्टे, विशाखपटनम क्र.नं 69 / 10	-वही-
4.	एक वि.सी.डी फ़िल्म	सिरसी न्यु मार्किट पु.स्टे क्र.नं- 2 / 10	-वही-
5.	दो सी.डी	परजंग पुलिस स्टेशन	जांच की और रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को भेज दी।
6.	एक सी.डी	कामख्यानगर पुलिस स्टेशन	-वही-
7.	एक सौ दस सी.डी	बारिपाड़ा पुलिस स्टेशन	-वही-

अध्याय-5

बोर्ड की अर्थ व्यवस्था

चलचित्र अधिनियम 1952 के तहत फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड एक कानूनी संस्था है। प्रशासनिक उद्देश्य से बोर्ड को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय का दर्जा दिया गया है।

बोर्ड के राजस्व चलचित्र प्रमाणीकरण नियम 1983 में प्रस्तुत मानदण्ड के अनुसार प्रसारण शुल्क समेकित किए जाते हैं। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा फ़िल्मों के परीक्षण करने के लिए परिवीक्षण शुल्क लिए जाते हैं। जनवरी से दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त कुल आय रु. 6,62,22,116/- है। कुल प्राप्त राजस्व भारत के समेकित निधि में जमा किए जाते हैं। बोर्ड का कोई अन्य बैंक -खाता नहीं है।

भारत सरकार की पद्धति के तरह बोर्ड में भी राजस्व तथा खर्च का लेखा-अनुरक्षण के लिए (1 एप्रिल से 31 मार्च तक को) वित्त वर्ष का अनुपालन किया जाता है। बोर्ड का मंत्रालय से योजना और योजनेतर परियोजना को अन्तर्गत अनुदान प्राप्त होता है। योजनेतर के विविध उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान और उप-शीर्षकों में 1.4.2009 से 31.12.2010 तक के कुल व्यय का विवरण नीचे दिए गए हैं।

बजट नियतन और व्यय

(रु.लाख में)

	योजनेतर बी.ई. 2010-2011	दिसम्बर, 2010 तक का व्यय
वेतन	320.00	253.47
मेडिकल	4.50	1.78
अ.स.भ	0.15	शून्य
या.व्यय	20.00	10.47
का.व्यय	55.30	44.91
पी.पी.एस.एस	150.00	73.37
अनुदान	0.05	शून्य
कुल	550.00	384.00

11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनागत स्कीमों का विवरण निम्नलिखित है:-

- 1) के.फि.प्र.बो में कंप्यूटरीकृत प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना व आधारभूत ढांचे का उन्नयन।
- 2) नई दिल्ली, कटक और गुवहाटी में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना।
- 3) प्रमाणीकरण प्रक्रिया का अनुवीक्षण एवं आधुनिकीकरण

i) के.फि.प्र.बो में कंप्यूटरीकृत प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना व आधारभूत ढांचे का उन्नयन।

स्वीकृत बजट अनुदान 2010-2011	रु.90.00 लाख
व्यय - दिसम्बर 2010 तक	रु.57.85 लाख

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र की सहायता से के.फि.प्र.बो में समस्त कार्य का कंप्यूटरीकरण व क्षेत्रीय कार्यालयों को तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना इस योजना के उद्देश्य है। प्रमाणीकरण प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत करना व नौ क्षेत्रीय कार्यालयों को लेन के ज़रिए लिंक करना तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में टी.वी, डि.वी.डी, वी.सी.डी और अन्य तकनीकी उपकरणों की खरीदी करना शामिल है। यह योजना अब मुंबई कार्यालय में प्रचलित है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र नेट के ज़रिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को मुंबई कार्यालय व मुंबई कार्यालय को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसके परिणाम स्वरूप डाटा व संचार का ई-मेल द्वारा शीघ्र सम्प्रेषण हो सकेगा। कुल रु. 350.00 लाख की अनुदान राशि जो 11 वीं योजना के लिए मंजूर की गई है उसमें से रु. 50.00 लाख राशि पंचवर्षीय योजना स्कीम हेतु कंप्यूटरीकरण की शेष कार्य और के.फि.प्र.बो के आधारभूत ढांचे के उन्नयन व क्षेत्रीय कार्यालयों में टी.वी, डि.वि.डि, वि.सी.डी की खरीदी के लिए निश्चित की गई है। वर्ष 2010-11 के लिए 92.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

2) नई दिल्ली, कटक और गुवहाटी में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना।

(रु.लाख में)

	योजना बी.ई. 2010-2011	दिसम्बर, 2010 तक का व्यय
वेतन	30.00	21.63
मेडिकल	3.00	0.09
अ.स.भ	0.20	शून्य
या.व्यय	07.00	1.59
का.व्यय	19.80	13.12
पी.पी.एस.एस	20.00	4.83
अनुदान	शून्य	शून्य
कुल	80.00	41.26

प्रारंभ में नई दिल्ली, कटक और गुवहाटी में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की व्यवस्था थी। एस.एफ.सी की अनुमति न मिलने के कारण व्यय नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय के दिनांक 11.11.2008 को जारी पत्र संख्या 812/6/2007 एफ.सी द्वारा 3 प्रादेशिक अधिकारियों व तीन निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों की स्वीकृति दी है। दिल्ली, कटक व गुवहाटी के प्रत्येक कार्यालय के लिए एक-एक पद की स्वीकृति दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली क्षेत्र, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और उड़िया क्षेत्रों के निर्माताओं द्वारा निर्मित विज्ञापन के साथ सेलुलार्यड व वीडियो फिल्म के लिए है। बी.ई 2009-10 के अन्तर्गत 85.00 लाख और 2010-11 के लिए 103.00 लाख का आबंटन किया है।

3) प्रमाणीकरण प्रक्रिया का अनुवीक्षण एवं आधुनिकीकरण :

यह योजना कार्यशाला, परीक्षण अधिकारियों बोर्ड सदस्यों एवं पैनेल सदस्यों के लिए फिल्म प्रमाणीकरण के संबंध में सेमिनार आयोजित करना संकल्पित है। 11वीं योजना का अनुमानित लक्ष्य रु. 500.00 लाख है। कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बी.ई 2009-10 के अन्तर्गत 50.00 लाख और 2010-11 को लिए 110.00 लाख की स्वीकृति दी है।

स्वीकृत बजट अनुदान 2010-2011

रु.50.00 लाख

व्यय - दिसम्बर 2009 तक

रु.37.63 लाख

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

(रूपए लाख में)

	2009-10 के वास्तविक		2010-11 के एस.बी.जी	
	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना
1. वेतन	325.60	30.00	320.00	30.00
2. मेडिकल	4.50	3.00	4.50	3.00
3. अ.स.व्यय	0.15	0.20	0.015	0.20
4. या.व्यय	25.80	10.00	20.00	7.00
5. का.व्यय	53.90	16.80	55.30	19.80
6. पी.पी.एस.एस	150.00	25.00	150.00	20.00
7. अनुदान	0.05	--	0.05	--
कुल	560.00	85.00	550.00	80.00

सांख्यकीय विवरण

अनुलग्नक 1 से 21 तक

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

बोर्ड के सदस्य

क्रम सं	नाम
---------	-----

क्रम सं	नाम
1.	श्रीमती. गीता चंद्रन
2.	श्रीमती. अल्का सिंह
3.	श्री. संजीव भार्गव
4.	श्री. शरद मिश्रा
5.	डॉ (श्रीमती) प्रियंवदा मोहन्ती हेजमाडी
6.	श्री. एल सुरेश
7.	श्री. सांधी मुखर्जी
8.	श्री. सौमेन्दु रे
9.	श्री. पंकज शर्मा
10.	श्री. टॉम वडककन
11.	श्री. श्रवण श्रॉफ
12.	कैप्टन विजय कुमार त्रेहान
13.	सुश्री. पंडित दुर्गा जसराज
14.	श्री. कृष्ण मोहन
15.	श्री. सुब्बा राव
16.	श्री. राजीव अरोड़ा
17.	श्री. एम.वी भास्कर राव
18.	श्रीमती. ऊर्मिला रुगटा
19.	श्रीमती. कोडाली इंदिरा बैनर्जी
20.	श्रीमती. बोबिता शर्मा
21.	डॉ (श्रीमती) साधना कपूर
22.	श्री. पुनित बगोडिया
23.	श्री. दिलिप चेरियान
24.	श्रीमती. एम. श्रीमणी

क्षेत्रीय कार्यालय	अध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का पूरा पता और पिन कोड	टेलिफोन नं		फैक्स	ई-मेल
			कार्यालय	घर		
मुंबई	श्रीमती शनिला टेंगोर अध्यक्ष	भारत भवन, 91-ई, वालके-धार मार्ग, मुंबई- 400 006	23631048	011- 26156722/26	23648339 Code : 022 23648339 23690083	cbfcchainperson@gmail.com ceocbfcmum@rediffmail.com
	श्रीमती.पंकजा ठाकुर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कहीं	23631048			
	श्रीमती. विजया के.चावक अध्यक्ष के सचिव	कहीं	23631048	9820397547	23648339 23690083	vijayachawak@yahoo.com
चेन्नई	श्री. पल्ल्यनीचामी क्षेत्रीय अधिकारी	शास्त्री भवन, 35 हेडेस रोड, चेन्नई- 600 006	044-28276859/ 28278764 09444026464	044-24403276	28276859 Code : 044	cbfcchemain@gmail.com WEB : http://whouse3.tn.nic.in
कोलकाता	श्री.सुब्रतो मुखोपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी	8- एस्प्लानेड, पूर्व कोलकाता - 700 069	033-22487266/ 22109254	9433033045	22109254 Code : 033	ssmdds@rediffmail.com
बैंगलूरु	श्री. के.नागराज क्षेत्रीय अधिकारी	केन्द्रीय सदन, कौ विंग, 4थ माला, 17मेन कोरमगला, बैंगलूरु- 560 034	080-25520095/ 25525164 09740690559	080-28563839 040-23314478/ 23394910	25520095 Code : 080 040-27602441 Code : 040	nagrajkl@yahoo.com rochichhyd@rediffmail.com
हैदराबाद	श्रीमती.ए.धनतक्ष्मी क्षेत्रीय अधिकारी	समाचार भवन, 10-2-1, पहला माला, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद- 500 028.			23314478 Code : 040	
तिरुवनंतपुरम	श्री.री.पौ.मधुकुमार अपर क्षेत्रीय अधिकारी	चलविच कलाभवन,पहला माला, एप्टचक्का तिरुवनंतपुरम - 695014.	0471-2320857	09744633816	2320857 Code : 0471	addrrochbctvnm@sify.com
नई दिल्ली	श्री.राज कुमार क्षेत्रीय अधिकारी	तीसरा माला, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कांप्लेक्स, लोटी रोड, नई दिल्ली – 110 003	011-24361456/ 24362309	9718493887	24362309 Code : 011	cbfcdelhi@gmail.com
कटक	श्री.अचिन्त कुमार लिशा क्षेत्रीय अधिकारी	चलविच भवन, ओ.एफ.डी.सी कैपस, बकरी बाजार, कटक- 753 001			2301488 Code : 0671	-----
गुवाहाटी	श्री.बी.एस.नारजरे क्षेत्रीय अधिकारी (आतिक्त कार्यालय)	ज्योती चित्रवन फिल्म्स स्टूडियो, गुवाहाटी- 781 003	0361-2235648	9435049856	-----	b.narzary@hotmail.com

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1.2010 से 31.12.2010 तक प्रमाणित फिल्मों का समेकित विवरण

सेलूलॉयड

	‘अ’	‘अव’	‘व’	‘एस’	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	625	422	227	0	1274
विदेशी फीचर फिल्म	59	95	144	0	298
भारतीय लघु फिल्म	1655	193	47	0	1895
विदेशी लघु फिल्म	134	144	34	0	312
भारतीय लंबी फिल्म, फीचर से भिन्न	0	0	0	0	0
विदेशी लंबी फिल्म, फीचर से भिन्न	2	0	0	0	2
कुल	2475	854	452	0	3781

वीडियो

	‘अ’	‘अव’	‘व’	‘एस’	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	528	305	19	0	852
विदेशी फीचर फिल्म	698	834	71	0	1603
भारतीय लघु फिल्म	5281	859	159	0	6299
विदेशी लघु फिल्म	349	140	22	0	511
भारतीय लंबी फिल्म, फीचर से भिन्न	163	9	6	0	178
विदेशी लंबी फिल्म, फीचर से भिन्न	25	28	34	0	87
कुल	7044	2175	311	0	9530
समेकित कुल (सेलूलॉयड एवं वीडियो)	9519	3029	763	0	13311

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

**1.1.2010 से 31.12.2010 तक प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्में
(राज्य-वार) (भाषा-वार) (सेलूलॉयड)**

क्रम सं	भाषा	मुंबई	कालकाता	चेन्नई	बैंगलूर	तिरुवनंतपुरम	हैदराबाद	नई दिल्ली	कटक	गुव़हाटी	कुल
1	हिंदी	167	-	11	5	1	30	1	-	-	215
2	मराठी	116	-	-	-	-	-	-	-	-	116
3	भोजपुरी	65	1	-	-	-	-	1	-	-	67
4	गुजराती	62	-	-	-	-	-	-	-	-	62
5	तेलुगु	20	-	33	7	2	119	-	-	-	181
6	बंगाली	4	102	1	-	-	-	-	3	-	110
7	ओरिया	1	1	-	-	-	-	-	24	-	26
8	मैथिली	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
9	तमिल	18	-	160	2	7	15	-	-	-	202
10	कन्नडा	-	-	-	143	-	-	-	-	-	143
11	मलयालम	2	-	-	-	92	10	-	-	1	105
12	नेपाली	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
13	हरियानवी	3	-	-	-	-	-	1	-	-	4
14	पंजाबी	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
15	अंग्रेजी	7	1	-	-	-	-	-	-	-	8
16	छत्तीसगढ़ी	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17	अंगिका	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	राजस्थानी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
19	कोडवा	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
20	कॉकणी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
21	दखनी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	तुलु	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
23	असमी	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	कुल	489	106	205	161	102	175	4	27	5	1274

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1.2010 से 31.12.2010 तक प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों का
विषयात्मक वर्गीकरण (सेल्यूलॉयड)

क्रम सं	भाषा	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	बैंगलूर	तिरुवनंतपुरम	हैदराबाद	नई दिल्ली	कटक	गुजराटी	कुल
1	सामाजिक	375	90	158	104	78	146	4	24	5	984
2	डिवॉशनल	9	0	0	1	0	0	0	0	0	10
3	कामदी	29	6	0	5	3	6	0	0	0	49
4	थ्रिलर	30	2	0	0	0	0	0	0	0	32
5	क्राइम	7	3	17	25	8	7	0	1	0	68
6	एक्शन	5	0	28	5	0	3	0	0	0	41
7	फैन्टसी	8	1	1	2	1	3	0	0	0	16
8	अन्य	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4
9	मैथॉलेजिकल	3	1	0	0	1	0	0	1	0	6
10	हिस्टॉरिकल	1	1	0	0	2	0	0	0	0	4
11	एक्शन थ्रिलर	0	0	0	3	8	0	0	0	0	11
12	होरर	16	1	0	1	0	2	0	0	0	20
13	एनिमेशन	2	0	0	0	0	2	0	0	0	4
14	लिंजेंडरी	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
15	बायोग्राफिकल	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
16	सामाजिक/कामदी	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
17	क्राइम /सस्पेंस	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
18	एक्शन /कामदी	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
19	मिस्टरी	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
20	क्राइम/ मैथॉलेजिकल	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
21	मर्डर/ मिस्टरी	0	0	0	2	0	2	0	1	0	5
22	बाल फिल्म	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
23	प्रेट्रियोटिक	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
24	स्पूफ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
25	होरर/ मिस्टरी	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
26	स्पूफ/ सेटर	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27	सामाजिक /क्राइम	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	कुल	489	106	205	161	102	175	4	27	5	1274

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड**सेल्यूलोयड (1.1.2010 से 31.12.2010 तक)****(भाषा और वर्गवार)**

क्रम सं	भाषा	अ	अ *	अव	अव *	व	व*	कुल स्पष्ट	काट-छाट	समेकित कुल
1	हिन्दी	67	5	63	19	44	17	174	41	215
2	मराठी	80	3	23	6	4	-	107	9	116
3	भोजपुरी	12	1	35	4	10	5	57	10	67
4	गुजराती	40	1	15	5	1	-	56	6	62
5	तेलुगु	64	25	18	29	27	18	109	72	181
6	बंगाली	38	5	29	21	12	5	79	31	110
7	ओरिया	13	1	7	4	1	-	21	5	26
8	मैथिली	1	-	1	-	-	-	2	-	2
9	तमिल	37	62	10	43	21	29	68	134	202
10	कन्नडा	31	40	18	41	3	10	52	91	143
11	मलयालम	52	20	14	8	10	1	76	29	105
12	नपाली	1	-	-	-	-	-	1	-	1
13	हरियानवी	1	-	1	-	2	-	4	-	4
14	पंजाबी	13	-	2	-	-	-	15	-	15
15	अंग्रेजी	-	-	2	1	4	1	6	2	8
16	छत्तीसगढ़ी	1	-	-	-	2	-	3	-	3
17	अंगिका	-	-	1	-	-	-	1	-	1
18	राजस्थानी	2	-	-	-	-	-	2	-	2
19	कोडवा	-	2	-	-	-	-	-	2	2
20	कोंकणी	2	-	-	-	-	-	2	-	2
21	दखनी	-	-	1	-	-	-	1	-	1
22	तुलु	2	-	-	-	-	-	2	-	2
23	असमी	3	-	1	-	-	-	4	-	4
	कुल	460	165	241	181	141	86	842	432	1274

- काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1.2010 से 31.12.2010 तक बोर्ड द्वारा प.स और पु.स द्वारा प्रमाणीकरण
के लिए अस्वीकृत फिल्मों का विवरण
भारतीय फीचर फिल्म (सेलूलायड)

क्रम सं	फिल्म का शीर्षक	भाषा	टिप्पणी
1.	हुं रे विजोगन तारा नाम नी	गुजराती	पु.स ने अस्वीकृत किया
2.	सेन कादल	तमिल	प.स ने अस्वीकृत किया
3.	देव लीलै	तमिल	-वही-
4.	नेल्लु	तमिल	-वही-
5.	मिनसारम	तमिल	-वही-
6.	शांती अप्पुरम निथ्या	तमिल	प.स/पु.स ने अस्वीकृत किया
7.	हाय स्कुल	तेलुगु	प.स ने अस्वीकृत किया
8.	होसा अनुभवा	कन्नडा	पु.स ने अस्वीकृत किया

विदेशी फीचर फिल्म (सेलूलायड)

क्रम सं	फिल्म का शीर्षक	भाषा	टिप्पणी
1.	दी ट्रनमेंट	अंग्रेजी	प.स ने अस्वीकृत किया

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

**भारतीय फीचर फिल्मों (सेलूलोयड) का विवरण
एक भाषा से दूसरी भाषा में डब**

भाषा	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	बैंगलूर	तिरुवनंतपुरम	हैदराबाद	कटक	नई दिल्ली	गुवहाटी	कुल
हिन्दी	3	-	7	4	-	3	-	-	-	17
तमिल	16	-	-	2	-	-	-	-	-	18
तेलुगु	18	-	32	7	-	11	-	-	-	68
झोजपुरी	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
छत्तीसगढ़ी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
अंग्रेजी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ओरिया	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
मलयालम	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
बंगाली	1	-	-	-	-	-	-	3	-	4
कुल	46	2	39	13	-	14	-	3	-	117

विदेशी फीचर फिल्मों (सेलूलोयड) का विवरण एक भाषा से दूसरी भाषा में डब

भाषा	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बैंगलूर	तिरुवनंतपुरम	हैदराबाद	कटक	नई दिल्ली	गुवहाटी	कुल
हिन्दी	57	3	-	-	-	-	-	-	-	60
तमिल	44	4	-	-	-	-	-	-	-	48
मलयालम	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
पंजाबी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
तेलुगु	51	5	-	-	-	-	-	-	-	56
अंग्रेजी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
कुल	156	13	-	-	-	-	-	-	-	169

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1.2010 से 31.12.2010 तक सेलूलोयड फिल्मों को लागू किए गए
काट-छाट की कुल लंबाई (मीटरों में)

	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बैंगलूर	तिरुवनंतपुरम्	हैदराबाद	कटक	नई दिल्ली	गुवाहाटी	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	1434.02	634.56	2996.69	1186.62	214.56	1757.16	45.00	348.69	-	8617.3
विदेशी फीचर फिल्म	409.53	-	205.62	-	-	-	-	-	-	615.15
भारतीय लघु फिल्म	केवल आवाज	-	3.01	0.56	-	9.74	-	-	-	13.31
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	1843.55	634.56	3205.32	1187.18	214.56	1766.9	45.00	348.69	-	9245.76

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

वर्ष 2009 और 2010 में भारतीय फीचर फिल्मों (सेलुलॉयड) के लिए
आयोजित परीक्षण-पुनरीक्षण समितियों की संख्या दर्शानेवाली क्षेत्रावार सूची

वर्ष	मुंबई		कोलकाता		चेन्नई		बैंगलूर		तिरुवनंतपुरम		हैदराबाद		नई दिल्ली		कटक		गुवहाटी		कुल			
	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स
2009	452	31	85	1	186	5	211	4	90	1	247	3	4	--	22	--	5	-	1302	45		
2010	497	22	108	4	214	7	172	3	100	1	172	--	4	--	27	--	5	-	1299	37		

वर्ष 2009 और 2010 में विदेशी फीचर फिल्मों (सेलुलॉयड) के लिए आयोजित परीक्षण-
पुनरीक्षण समितियों की संख्या दर्शानेवाली सूची

वर्ष	मुंबई		कोलकाता		चेन्नई		बैंगलूर		तिरुवनंतपुरम		हैदराबाद		नई दिल्ली		कटक		गुवहाटी		कुल				
	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	प.स	पु.स	
2009	287	34	1	--	13	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	301	35		
2010	290	6	--	--	19	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	310	7		

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1.2010 से 31.12.2010 तक मुंबई कार्यालय से जारी किए गए प्रमाणपत्रों का विवरण
दर्शानेवाली सूची

क- सेल्लॉयड

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	203	6	139	30	92	19	-	489
विदेशी फीचर फिल्म	55	-	81	-	130	11	-	277
भारतीय लघु फिल्म	1148	3	176	2	39	-	-	1368
विदेशी लघु फिल्म	123	-	144	-	34	-	-	301
भारतीय लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लंबी फिल्म	2	-	-	-	-	-	-	2
कुल	1531	9	540	32	295	30	-	2437

ख - वीडियो

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	145	14	88	16	4	2	-	269
विदेशी फीचर फिल्म	361	1	539	31	51	13	-	996
भारतीय लघु फिल्म	2309	1	682	7	123	2	-	3124
विदेशी लघु फिल्म	324	-	134	-	18	-	-	476
भारतीय लंबी फिल्म	90	-	6	-	2	-	-	98
विदेशी लंबी फिल्म	23	-	26	2	27	7	-	85
कुल	3252	16	1475	56	225	24	-	5048
सकल योग	4783	25	2015	88	520	54	-	7485

* काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1.2010 से 31.12.2010 तक कोलकाता कार्यालय से जारी किए गए प्रमाणपत्रों का
विवरण दर्शानेवाली सूची

क- सेल्यूलॉयड

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	35	5	29	22	11	4	-	106
विदेशी फीचर फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लघु फिल्म	25	-	3	-	2	-	-	30
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	60	5	32	22	13	4	0	136

ख - वीडियो

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	27	5	24	13	2	1	-	72
विदेशी फीचर फिल्म	1	-	1	1	-	-	-	3
भारतीय लघु फिल्म	174	2	32	11	8	1	-	228
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लंबी फिल्म	4	-	-	-	2	2	-	8
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	206	7	57	25	12	4	-	311
सकल योग	266	12	89	47	25	8	-	447

* काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1. 2010 से 31.12.2010 तक चेन्नई कार्यालय से जारी किए गए प्रमाणपत्रों का
विवरण दर्शानेवाली सूची

क- सेल्यूलॉयड

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	62	59	10	39	8	27	-	205
विदेशी फीचर फिल्म	4	-	10	3	1	2	-	20
भारतीय लघु फिल्म	289	6	-	1	-	-	-	296
विदेशी लघु फिल्म	11	-	-	-	-	-	-	11
भारतीय लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	366	65	20	43	9	29	-	532

ख - वीडियो

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	66	60	11	10	-	4	-	151
विदेशी फीचर फिल्म	170	97	114	110	1	-	-	492
भारतीय लघु फिल्म	989	42	4	1	-	-	-	1036
विदेशी लघु फिल्म	16	6	1	4	-	-	-	27
भारतीय लंबी फिल्म	21	-	-	-	-	-	-	21
विदेशी लंबी फिल्म	1	-	-	-	-	-	-	1
कुल	1263	205	130	125	1	4	-	1728
सकल योग	1629	270	150	168	10	33	-	2260

* काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1. 2010 से 31.12.2010 तक बैंगलूर कार्यालय से जारी किए गए प्रमाणपत्रों का
विवरण दर्शानेवाली सूची

क- सेल्यूलॉयड

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	35	44	20	47	3	12	-	161
विदेशी फीचर फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लघु फिल्म	17	2	-	-	-	-	-	19
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	52	46	20	47	3	12	-	180

ख - वीडियो

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	8	17	18	40	-	2	-	85
विदेशी फीचर फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लघु फिल्म	460	31	84	11	-	-	-	586
विदेशी लघु फिल्म	3	-	-	-	-	-	-	3
भारतीय लंबी फिल्म	3	2	-	-	-	-	-	5
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	474	50	102	51	-	2	-	679
सकल योग	526	96	122	98	3	14	-	859

* काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1. 2010 से 31.12.2010 तक तिरुवनंतपुरम कार्यालय से जारी किए गए प्रमाणपत्रों का विवरण दर्शानेवाली सूची

क- सेल्लॉयड

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	54	21	12	9	5	1	-	102
विदेशी फीचर फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लघु फिल्म	39	-	-	-	1	-	-	40
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	93	21	12	9	6	1	-	142

ख - वीडियो

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	44	7	3	4	-	-	-	58
विदेशी फीचर फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लघु फिल्म	371	-	1	-	-	-	-	372
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लंबी फिल्म	11	3	-	-	-	-	-	14
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	426	10	4	4	-	-	-	444
सकल योग	519	31	16	13	6	1	-	586

* काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1. 2010 से 31.12.2010 तक हैदराबाद कार्यालय से जारी किए गए प्रमाणपत्रों का
विवरण दर्शानेवाली सूची

क- सेल्यूलॉयड

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	51	28	23	30	20	23	-	175
विदेशी फीचर फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लघु फिल्म	120	1	11	-	3	2	-	137
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
	171	29	34	30	23	25	-	312
कुल								

ख - वीडियो

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	30	24	32	27	-	-	-	113
विदेशी फीचर फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लघु फिल्म	353	38	1	-	1	-	-	393
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
	383	62	33	27	1	-	-	506
कुल								
सकल योग	554	91	67	57	24	25	-	818

* काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1. 2010 से 31.12.2010 तक नई दिल्ली कार्यालय से जारी किए गए प्रमाणपत्रों का
विवरण दर्शानेवाली सूची

क- सेल्यूलॉयड

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	3	1	-	-	-	-	-	4
विदेशी फीचर फिल्म	-	-	1	-	-	-	-	1
भारतीय लघु फिल्म	1	-	-	-	-	-	-	1
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	4	1	1	-	-	-	-	6

ख - वीडियो

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	19	1	6	1	2	2	-	31
विदेशी फीचर फिल्म	68	-	37	1	5	1	-	112
भारतीय लघु फिल्म	429	27	13	9	9	14	-	501
विदेशी लघु फिल्म	-	-	1	-	1	3	-	5
भारतीय लंबी फिल्म	29	-	3	-	-	-	-	32
विदेशी लंबी फिल्म	1	-	-	-	-	-	-	1
कुल	546	28	60	11	17	20	-	682
सकल योग	550	29	61	11	17	20	-	688

* काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

**1.1.2010 से 31.12.2010 तक कटक कार्यालय से जारी किए गए प्रमाणपत्रों का विवरण
दर्शानेवाली सूची**

क- सेल्यूलॉयड

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	14	1	7	4	1	-	-	27
विदेशी फीचर फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लघु फिल्म	4	-	-	-	-	-	-	4
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	18	1	7	4	1	-	-	31

ख - वीडियो

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	12	-	7	-	-	-	-	19
विदेशी फीचर फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लघु फिल्म	7	-	1	-	-	-	-	8
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	19	-	8	-	-	-	-	27
सकल योग	37	1	15	4	1	-	-	58

* काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1.2010 से 31.12.2010 तक गुव़हाटी कार्यालय से जारी किए गए प्रमाणपत्रों का
विवरण दर्शानेवाली सूची

क- सेल्यूलॉयड

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	3	-	1	-	1	-	-	5
विदेशी फीचर फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	1	-	1	-	-	5
कुल								

ख - वीडियो

	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्म	49	-	5	-	-	-	-	54
विदेशी फीचर फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लघु फिल्म	48	-	2	-	1	-	-	51
विदेशी लघु फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लंबी फिल्म	-	-	-	-	-	-	-	-
	97	-	7	-	1	-	-	105
कुल								
सकल योग	100	-	8	-	2	-	-	110

* काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1.2010 से 31.12.2010 तक प्रमाणित विदेशी फीचर फिल्में

(क्षेत्रवार – राज्यवार)

(सेलूलॉयड)

क्रम सं	मूल स्थान	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बैंगलूर	तिरुवनंतपुरम	हैदराबाद	कटक	नई दिल्ली	गुवाहाटी	कुल
1	यु.एस.ए	219	-	5	-	-	-	-	-	-	224
2	यु.के	13	-	8	-	-	-	1	-	-	22
3	हांगकांग	11	-	3	-	-	-	-	-	-	14
4	तायलैंड	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
5	जर्मनी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	रूस	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	इटली	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	फ्रैंस	3	-	1	-	-	-	-	-	-	4
9	स्पेन	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
10	बैंगकॉक	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
11	हंगरी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
12	ऑस्ट्रेलिया	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	आफ्रिका	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
14	कोरिया	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3
	कुल	277	-	20	-	-	-	1	-	-	298

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

**1.1.2010 से 31.12.2010 तक प्रमाणित विदेशी फीचर फिल्मों का
विषयात्मक वर्गीकरण (सेलूलॉयड)**

क्रम सं	भाषा	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बैंगलूर	तिरुवनं तपुरम	हैदराबाद	कटक	नई दिल्ली	गुवाहाटी	कुल
1	सामाजिक	51	-	16	-	-	-	1	-	-	68
2	कामदी	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13
3	एक्शन	53	-	1	-	-	-	-	-	-	54
4	होरर	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26
5	फॅटसी	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76
6	वैज्ञानिक फिक्शन	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
7	बायोग्राफिकल	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	हिस्टोरिकल	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	थ्रिल्लर	28	-	-	-	-	-	-	-	-	28
10	क्राइम	2	-	3	-	-	-	-	-	-	5
11	बाल चित्र	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
12	एनिमेशन	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
13	एडवेंचर	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
14	एक्शन/थ्रिल्लर	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15	अन्य	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कुल	277	-	20	-	-	-	1	-	-	298

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

**1.1.2010 से 31.12.2010 तक प्रमाणित भारतीय लघु फिल्में
(सेलूलॉयड) क्षेत्रावार और वर्गवार**

क्रम सं	वर्गीकरण	मुंबई	चेन्नई	कोलका ता	बैंगलूर	तिरुवनं तपुरम	हैदराबाद	कटक	नई दिल्ली	गुवाहाटी	कुल
1.	विज्ञापन	880	10	214	12	30	47	-	-	-	1193
2.	द्रेलर	344	6	69	6	3	46	-	1	-	475
3.	वृत्त चित्र	102	1	1	1	6	44	1	-	-	156
4.	अन्य	19	1	2	-	-	-	-	-	-	22
5.	शैक्षणिक	2	2	-	-	-	-	-	3	-	7
6.	बाल चित्र	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7.	सामाजिक	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
8.	वार्ता पत्रिका	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14
9.	लघु फीचर	3	10	9	-	1	-	-	-	-	23
10.	वार्ता चित्र	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	कुल	1368	30	296	19	40	137	1	4	-	1895

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड1.1.2010 से 31.12.2010 तक प्रमाणित विदेशी लघु फिल्में (सेललॉयड)

क्रम सं	वर्गीकरण	मुंबई	चैन्सी	कोल काता	बैंगलूर	तिरुवनं तपुरम	हैदराबाद	कटक	नई दिल्ली	गुवाहाटी	कुल
1.	ट्रेलर	298	-	11	-	-	-	-	-	-	309
2.	अन्य	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	कुल	301	-	11	-	-	-	-	-	-	312

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1.2010 से 31.12.2010 तक प्रमाणित भारतीय वीडियो लघु फिल्मों का भाषा तथा

क्षेत्रावार विवरण

भाषा	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बैंगलूर	तिरुवनंतपुरम	हैदराबाद	कटक	नई दिल्ली	गुवाहाटी	कुल
हिन्दी	1554	7	47	49	1	10	165	-	-	1833
भोजपुरी	217	16	-	-	-	-	76	-	-	309
मराठी	187	-	-	1	-	-	2	-	-	190
अंग्रेजी	783	28	195	72	8	12	84	2	28	1212
पंजाबी	157	-	1	-	-	-	71	-	-	229
तमिल	65	-	600	4	1	2	3	-	-	675
मलयालम	10	-	115	-	362	2	7	-	-	496
म्युसिक	17	1	3	-	-	-	-	-	-	21
तेलुगु	48	-	63	2	-	366	4	-	-	483
छत्तीसगढ़ी	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
राजस्थानी	3	6	-	-	-	-	38	-	-	47
बंगाली	18	168	3	-	-	-	1	-	-	190
गुजराती	14	-	2	-	-	-	1	-	-	17
कन्नड़	17	-	6	457	-	-	6	-	-	486
मूळ	6	-	-	1	-	-	-	-	-	7
कॉकणी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
हिमाचली	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
ओरिया	7	-	-	-	-	-	-	6	-	13
गढ़वाली	2	-	-	-	-	-	3	-	-	5
असमी	4	1	-	-	-	-	-	-	11	16
बुंदेलखड़ी	1	-	-	-	-	-	5	-	-	6
उर्दु	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3
गिर्बरिश	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
फिलिपेन्स	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
नागपुरी	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
संस्कृत	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
मैथिली	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
उत्तरांचली	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
अवध	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
मारवाड़ी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
हिंदी अंग्रेजी	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
हिंदी भोजपुरी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
उर्दु हिंदी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
हरियानवी	-	-	-	-	-	-	17	-	-	17
मणिपुरी	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
नागमीस	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
कुल	3124	228	1036	586	372	393	501	8	51	6299

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड1.1.2010 से 31.12.2010 तक प्रमाणित भारतीय वीडियो फीचर फिल्में

भाषा	अ	अ *	कुल	अव	अव*	कुल	व	व*	कुल	सकल योग
हिन्दी	107	31	138	70	23	93	4	2	6	237
तमिल	43	44	87	7	12	19	-	5	5	111
तेलुगु	32	22	54	22	25	47	-	-	-	101
बंगाली	31	4	35	29	9	38	2	1	3	76
कन्नड	8	11	19	11	29	40	-	1	1	60
मलयालम	34	7	41	7	6	13	-	-	-	54
मणिपुरी	43	-	43	4	-	4	-	-	-	47
मराठी	25	3	28	12	1	13	-	1	1	42
झोजपुरी	16	-	16	12	3	15	-	-	-	31
अंग्रेजी	12	2	14	5	2	7	-	-	-	21
छत्तीसगढ़ी	9	1	10	7	-	7	-	-	-	17
राजस्थानी	8	1	9	1	-	1	-	-	-	10
ओरिया	6	-	6	1	-	1	-	-	-	7
संथली	2	-	2	1	-	1	2	-	2	5
सादरी	3	-	3	1	-	1	-	-	-	4
नेपाली	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
पंजाबी	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3
बुन्देलखण्डी	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
ब्रजभाषा	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
सिंधी	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3
गुजराती	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3
राजवंशी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
कोर्टा	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
नागपुरी	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2
असमी	4	-	4	-	-	-	-	-	-	4
हरियानवी	3	-	3	-	-	-	-	1	1	4
उर्दू	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
आदीबाशी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
मोनपा भूटा	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
भाटिया	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
सुरजापुरी	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
कुल	400	128	528	194	111	305	8	11	19	852

* काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1.2010 से 31.12.2010 तक प्रमाणित विदेशी वीडियो फीचर फिल्मों का विवरण

मूल स्थान	अ	अ *	कुल	अव	अव*	कुल	व	व*	कुल	सकल योग
यु.एस.ए	469	60	529	577	78	655	46	13	59	1243
यु.के	21	3	24	20	5	25	5	-	5	54
फ्रांस	20	1	21	15	2	17	2	-	2	40
नीदरलैंड	24	2	26	19	3	22	4	1	5	53
हांगकांग	20	31	51	24	50	74	0	-	-	125
स्वीडेन	2	-	2	1	-	1	-	-	-	3
जापान	8	-	8	4	-	4	-	-	-	12
केनेडा	6	-	6	4	-	4	-	-	-	10
न्युजिलैंड	-	-	-	2	1	3	-	-	-	3
सिंगापुर	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
चीन	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2
इटली	9	-	9	2	-	2	-	-	-	11
थाईलैंड	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5
जर्मनी	10	1	11	8	1	9	-	-	-	20
स्पेन	1	-	1	4	-	4	-	-	-	5
इरान	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
कोरिया	2	-	2	4	2	6	-	-	-	8
हंगरी	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
श्रीलंका	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
बंगलादेश	1	-	1	1	1	2	-	-	-	3
बँगकाक	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2
कुल	600	98	698	691	143	834	57	14	71	1603

* काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1.2010 से 31.12.2010 तक विविध क्षेत्रों में प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्म
(सेलूलॉयड) का विवरण

क्षेत्र	अ	अ*	अव	अव*	व	व*	कुल स्वच्छ	कुल काट-छाट	कुल
मुंबई	203	6	139	30	92	19	434	55	489
कोलकाता	35	5	29	22	11	4	75	31	106
चेन्नई	62	59	10	39	8	27	80	125	205
बैंगलूरू	35	44	20	47	3	12	58	103	161
तिरुवनंतपुरम्	54	21	12	9	5	1	71	31	102
हैदराबाद	51	28	23	30	20	23	94	81	175
नई दिल्ली	3	1	-	-	-	-	3	1	4
कटक	14	1	7	4	1	-	22	5	27
गुवाहाटी	3	-	1	-	1	-	5	-	5
कुल	460	165	241	181	141	86	842	432	1274

* काट-छाट के साथ

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

मुख्य क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रमुख भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्मों
के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्रों की विश्लेषणात्मक सूची

क्षेत्र	अ सं %		अव सं %		व सं %		कुल
संपूर्ण भारत	625		422		227		1274
मुंबई	209	33.44 %	169	40.04 %	111	48.89%	489
चेन्नई	121	19.36%	49	11.61%	35	15.41%	205
हैदराबाद	79	12.64%	53	12.55%	43	18.94%	175
बैंगलूर	79	12.64%	67	15.87%	15	6.60%	161

भाषा	अ सं %		अव सं %		व सं %		कुल
संपूर्ण भारत	625		422		227		1274
हिन्दी	72	11.52 %	82	19.43 %	61	26.87%	215
तमिल	99	15.84 %	53	12.55%	50	22.02 %	202
तेलुगु	89	14.24 %	47	11.13%	45	19.82 %	181
कन्नड़	71	11.36%	59	13.98%	13	5.72 %	143
मराठी	83	13.28 %	29	6.87%	4	1.76 %	116
बंगाली	43	6.88%	50	11.84%	17	7.48 %	110

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

**वर्ष 2009 और 2010 में बोर्ड के विविध कार्यालयों द्वारा अधिरोपित काट-छाट के
तुलनात्मक विवरण**

	वर्ष	भा.फी.फि	वि.फी.फि	भा.ल.फि	वि.ल.फि	कुल
मुंबई	2009	2472.63	895.53	9.96	0.25	3378.37
	2010	1434.02	409.53	केवल आवाज	-	1843.55
कोलकाता	2009	116.59	-	-	-	116.59
	2010	634.56	-	-	-	634.56
चेन्नई	2009	3920.4	205.66	2.68	1.50	4130.24
	2010	2996.69	205.62	3.01	-	3205.32
बैंगलूर	2009	2898.79	-	-	-	2898.79
	2010	1186.62	-	0.56	-	1187.18
तिरुवनंतपुरम	2009	279.86	-	2.59	-	282.45
	2010	214.56	-	-	-	214.56
हैदराबाद	2009	4761.2	-	174.08	-	4935.28
	2010	1757.16	-	9.74	-	1766.9
नई दिल्ली	2009	केवल आवाज	-	-	-	-
	2010	45	-	-	-	45
कटक	2009	8.9	-	-	-	8.9
	2010	348.69	-	-	-	348.69
गुवहाटी	2009	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-
कुल	2009	14,458.37	1101.19	189.31	1.75	15750.62
	2010	8617.3	615.15	13.31	--	9245.76

भा.फी.फि- भारतीय फीचर
भा.ल.फि – भारतीय लघु फिल्म

वि.फी.फि- विदेशी फीचर फिल्म
वि.ल.फि - विदेशी लघु फिल्म